भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1185
दिनांक 10 दिसंबर, 2025 / 19 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल पुलिसिंग में कमियाँ

1185 श्री राघव चड्ढाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश भर में वित्तीय धोखाधड़ी, डेटा उल्लंघन और ऑनलाइन शोषण सहित साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं की जानकारी है;
(ख) विगत पांच वर्षों में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज साइबर अपराध मामलों की संख्या कितनी है और क्या इनमें वर्ष-प्रति-वर्ष वृद्धि हुई है;
(ग) क्या देश के अधिकतर ज़िलों में समर्पित साइबर अपराध सेलों, प्रशिक्षित कार्मिकों तथा डिजिटल फॉरेंसिक सुविधाओं का अभाव है; और
(घ) साइबर पुलिसिंग को मजबूत करने, डिजिटल फॉरेंसिक अवसंरचना को उन्नत करने तथा क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों की साइबर अपराधों से निपटने की क्षमता विकसित करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन-इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का अपराध शीर्ष-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक-I एवं II में दिया गया है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध समेत

अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए और समर्पित साइबर अपराध सेलों, क्षमता निर्माण और डिजिटल फोरेंसिक सुविधाओं की स्थापना के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी), गृह मंत्रालय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, क्षमता निर्माण को बढ़ाने आदि के लिए नियमित रूप से 'स्टेट कनेक्ट', 'थाना कनेक्ट' और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित कर रहा है। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस के जांच अधिकारियों (आईओ) को प्रारंभिक स्तर पर साइबर फॉरेंसिक में सहायता प्रदान करने के लिए, आई4सी के एक भाग के रूप में नई दिल्ली (दिनांक 18.02.2019 को) एवं असम (दिनांक 29.08.2025 को) में अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच)' स्थापित की गई है। अभी तक, साइबर अपराधों से संबंधित लगभग 12,952 मामलों की जाँच में मदद करने के लिए राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला (जाँच), नई दिल्ली ने राज्यों/ संघ-राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

iii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iv. वित्तीय धोखाधड़ियों की तत्काल सूचना देने और धोखाधड़ी करने वालों के द्वारा निधियों की चोरी को रोकने के लिए वर्ष 2021 में आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस) शुरू की गई है। अब तक 23.02 लाख से अधिक शिकायतों में 7,130 करोड़ रुपये से अधिक की राशि को बचाया गया है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

v. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

vi. अभी तक, पुलिस अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट किए गए 11.14 लाख से अधिक सिम कार्ड और 2.96 लाख आईएमईआई को भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया है।

vii. साइबर अपराध की जांच, फॉरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु आई4सी के तहत 'साइट्रेन' पोर्टल नामक "वृहत ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी)" प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 1,44,895 से अधिक पुलिस अधिकारियों/न्यायिक अधिकारियों का पंजीकरण किया गया है और 1,19,628 से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

viii. गृह मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षमता निर्माण, जैसे कि साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने, जूनियर साइबर परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने और साथ ही विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के कार्मिकों, लोक अभियोजकों एवं न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए 'महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम (सीसीपीडब्ल्यूसी)' स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है। 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की गई हैं तथा 24,600 से अधिक विधि प्रवर्तन एजेंसी (एलईए) के कार्मिकों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों को साइबर अपराध संबंधी जागरूकता, जांच, फॉरेंसिक आदि में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

ix. गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही किसी भी जानकारी, डेटा या संचार लिंक को हटाने या अक्षम करने की सुविधा के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 79 की उप-धारा (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा आईटी मध्यस्थों को नोटिस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 'सहयोग' पोर्टल शुरू किया गया है।

x. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से आई4सी द्वारा दिनांक 10.09.2024 को साइबर अपराधियों की पहचान की एक संदिग्ध रजिस्ट्री शुरू की गई है। अब तक, बैंकों से प्राप्त 18.43 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा और 24.67 लाख लेयर 1 म्युल खातों को संदिग्ध रजिस्ट्री की भाग लेने वाली संस्थाओं के साथ साझा किया गया है और 8031.56 करोड़ रुपये के लेनदेन को रोका गया है।

xi. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

xii. केंद्र सरकार ने साइबर अपराध जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं: -

1) माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिनांक 27.10.2024 को "मन की बात" के दौरान डिजिटल गिरफ्तारी के बारे में बात की और भारत के नागरिकों को अवगत कराया।
2) दिनांक 28.10.2024 को डिजिटल गिरफ्तारी पर आकाशवाणी**,** नई दिल्ली द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया ।
3) कॉलर ट्यून अभियान**:** आई4सी ने दूरसंचार विभाग **(**डीओटी**)** के साथ मिलकर साइबर अपराध के बारे में जागरूकता बढ़ाने और साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 तथा एनसीआरपी पोर्टल को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.12.2024 से कॉलर ट्यून अभियान शुरू किया है। कॉलर ट्यून को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं **(**टीएसपी**)** द्वारा अंग्रेजी**,** हिंदी और

10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। कॉलर ट्यून के छह संस्करण बजाए गए, जिनमें विभिन्न कार्यप्रणाली, जैसे डिजिटल गिरफ्तारी, निवेश घोटाला, मैलवेयर, फर्जी लोन ऐप, फर्जी सोशल मीडिया विज्ञापन, आदि शामिल थे।

4) केंद्र सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अखबार में विज्ञापन, दिल्ली मेट्रो में उदघोषणा, विशेष पोस्ट बनाने के लिए सोशल मीडिया प्रभावकारी व्यक्तियों (Influencers) का उपयोग, प्रसार भारती और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभियान, आकाशवाणी पर विशेष कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

5) डीडी न्यूज के साथ साझेदारी में, आई4सी ने 19 जुलाई 2025 से 52 सप्ताह के लिए साप्ताहिक शो साइबर-अलर्ट के माध्यम से चलने वाला एक साइबर अपराध जागरूकता अभियान चलाया।

6) केंद्र सरकार ने साइबर अपराध के बारे में और जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एसएमएस, आई4सी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि एक्स (पूर्व में ट्विटर) (@CyberDost), फेसबुक (CyberDostI4C), इंस्टाग्राम (CyberDostI4C), टेलीग्राम (cyberdosti4c) के माध्यम से संदेश प्रसारित करना, एसएमएस अभियान, टीवी अभियान, रेडियो अभियान, स्कूल अभियान, सिनेमा हॉल में विज्ञापन, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, आईपीएल अभियान, कुंभ मेला 2025 और सूरज कुंड मेला 2025 के दौरान अभियान, कई माध्यमों से प्रचार हेतु माईगव का उपयोग करना, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के सहयोग से साइबर सुरक्षा एवं संरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, किशोरों/ छात्रों के लिए हैंडबुक का प्रकाशन करना, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर डिजिटल प्रदर्शन (Displays) आदि शामिल हैं।

*****

अनुलग्नक-I
राज्य सभा अता.प्र.सं. 1185 दिनांक 10.12.2025

वर्ष 2019-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत अपराध शीर्ष-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.सं.	**अपराध शीर्ष**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
1	कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों से छेड़छाड़ करना	173	338	55	65	71
2	कंप्यूटर से संबंधित अपराध	23734	21926	19915	23894	35329
3	साइबर आतंकवाद	12	26	15	12	11
4	इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का प्रकाशन/प्रसारण	4203	6308	6598	6896	7893
5	सूचना का अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन	9	7	2	1	1
6	सुरक्षित कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच/पहुंचने का प्रयास	2	2	3	1	1
7	अपराध करने के लिए उकसाना	0	1	7	4	0
8	अपराध करने का प्रयास	14	18	5	18	11
9	आईटी अधिनियम की अन्य धाराएं	2699	1017	827	1017	920
क	**सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कुल अपराध**	30846	29643	27427	31908	44237
10	आत्महत्या के लिए उकसाना (ऑनलाइन)	7	10	10	24	30
11	साइबर स्टॉकिंग / महिलाओं / बच्चों की बुलिंग	771	872	1176	1471	1305
12	डेटा चोरी	282	98	170	97	113
13	धोखाधड़ी	6229	10395	14007	17470	19466
14	बेईमानी करना	3367	4480	6343	10509	16943
15	जालसाजी	511	582	198	224	444
16	डिफेमेशन/मॉर्फिंग	19	51	31	61	36
17	नकली प्रोफाइल	85	149	123	157	225
18	कॉउंटरफीटिंग	5	9	2	2	0
19	साइबर ब्लैकमेलिंग/थ्रेटनिंग	362	303	689	696	689
20	सोशल मीडिया पर फर्जी समाचार	188	578	179	230	209
21	अन्य अपराध	1974	2674	2456	2857	2389
ख	**भारतीय दंड संहिता के तहत कुल अपराध**	13800	20201	25384	33798	41849
22	जुआ अधिनियम (ऑनलाइन जुआ)	22	63	27	37	87
23	लॉटरी अधिनियम (ऑनलाइन लॉटरी)	9	26	4	6	0
24	कॉपी राइट एक्ट	34	49	32	27	23
25	ट्रेड मार्क एक्ट	1	5	1	14	1
26	अन्य एसएलएल अपराध	23	48	99	103	223
ग	**एसएलएल के तहत कुल अपराध**	89	191	163	187	334
	कुल साइबर अपराध	**44735**	**50035**	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।

अनुलग्नक-II

राज्य सभा अता.प्र.सं. 1185 दिनांक 10.12.2025

वर्ष 2019-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019	2020	2021	2022	2023
1	आंध्र प्रदेश	1886	1899	1875	2341	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	8	30	47	14	24
3	असम	2231	3530	4846	1733	909
4	बिहार	1050	1512	1413	1621	4450
5	छत्तीसगढ़	175	297	352	439	473
6	गोवा	15	40	36	90	86
7	गुजरात	784	1283	1536	1417	1995
8	हरियाणा	564	656	622	681	751
9	हिमाचल प्रदेश	76	98	70	77	127
10	झारखंड	1095	1204	953	967	1079
11	कर्नाटक	12020	10741	8136	12556	21889
12	केरल	307	426	626	773	3295
13	मध्य प्रदेश	602	699	589	826	685
14	महाराष्ट्र	4967	5496	5562	8249	8103
15	मणिपुर	4	79	67	18	3
16	मेघालय	89	142	107	75	64
17	मिजोरम	8	13	30	1	31
18	नागालैंड	2	8	8	4	2
19	ओडिशा	1485	1931	2037	1983	2348
20	पंजाब	243	378	551	697	511
21	राजस्थान	1762	1354	1504	1833	2435
22	सिक्किम	2	0	0	26	12
23	तमिलनाडु	385	782	1076	2082	4121
24	तेलंगाना	2691	5024	10303	15297	18236
25	त्रिपुरा	20	34	24	30	36
26	उत्तर प्रदेश	11416	11097	8829	10117	10794
27	उत्तराखण्ड	100	243	718	559	494
28	पश्चिम बंगाल	524	712	513	401	309
	कुल राज्य	**44511**	**49708**	**52430**	**64907**	**85603**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	5	8	28	47
30	चंडीगढ़	23	17	15	27	23
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	3	5	5	6
32	दिल्ली	115	168	356	685	407
33	जम्मू और कश्मीर	73	120	154	173	185
34	लद्दाख		1	5	3	1
35	लक्षद्वीप	4	3	1	1	1
36	पुदुचेरी	4	10	0	64	147
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**224**	**327**	**544**	**986**	**817**
	कुल (अखिल भारत)	**44735**	**50035**	**52974**	**65893**	**86420**

स्रोत: एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित 'क्राइम इन इंडिया'।